

**बंगाल दवा संघ
पर 18 करोड़
का जुर्माना**

नई दिल्ली, प्रेस : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) ने बाजार में दवाओं की कीमतों और आपूर्ति प्रभावित करने के मामले में बंगाल केमिस्ट एंड ड्रुगिस्ट एसोसिएशन (बीसीडीए) पर 18 करोड़ रुपये का मोटा जुर्माना लगाया है। आयोग ने अपने फैसले

में कहा कि बीसीडीए और इसके अधिकारी गड़बड़ियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। सीसीआई ने संघ और इसके अधिकारियों को प्रतिस्पर्धायुक्त गतिविधियां तुरंत रोकने और प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है।

CEI fines Rs 18 crore on
Bengal Chemist & Druggist
Association.

Govt./Regulatory